दिनॉकः—11.12.2023

पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. विपक्षी संख्या—1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज फर्सवाण के कनिष्ठ उपस्थित हैं तथा विपक्षी संख्या—2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजली गुंसाई के कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित है।

4. प्रार्थना पत्र कागज संख्या—27बी पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रार्थना पत्र कागज संख्या—27बी मय शपथपत्र—28बी याचीगण की ओर से संशोधन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि थाना—प्रेमनगर से मृतक स्व0 सतीश चन्द के पंचनामें की जॉच रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना की तिथि एवं समय पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन संख्या—यू0के0—07डी0ए0—4087 का चालक यशवन्त सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी—झाझरा, थाना—प्रेमनगर, देहरादून प्रकाश में आया है, जिसको संशोधन के माध्यम से पक्ष बनाये जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या—27बी पर कोई आपत्ति नही की गयी है।

7. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. याचीगण की ओर से वर्तमान संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को पक्ष बनाये जाने की प्रार्थना की गयी है, जिसे स्वीकृत किये जाने पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति नही की गयी है।

9. याचीगण द्वारा चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे याचिका पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना नही है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या–27बी तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या–27बी स्वीकार किया जाता है। याचीगण, याचिका में आवश्यक संशोधन अन्दर 3 दिन करना सुनिश्चित करें,तत्पश्चात नव स्थापित विपक्षी को नोटिस वास्ते प्रतिवादपत्र दिनॉक 27.01.2024 हेतु जारी हों। याचीगण आवश्यक पैरवी अन्दर तीन दिन करना सुनिश्चित करे।

(तरुण)
एम.ए.सी.टी. / अष्टम अपर जिला न्यायाधीश,
दि0ः–11.12.2023 देहरादून।